Santal
5-5-14
Encl-① page

5-5-14

Reg-96
6870

IV/2440 222

1

प्रेषक,

एस0एन0सिहं,

विशेष न्यायाधीश,

दस्यु प्रभावित क्षेत्र,बदायूँ ।

सेवा में,

श्री एस0एस0गौतम,

डिप्टी रजिस्टार ,

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

26-5-14

13/05/14

Seen by Hon'ble Mr. Justice Sudhir Agarwal on 25.12.14

द्वारा ,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

बदायूँ ।

विषयः माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के पत्रांक 4156/IV/2440/एडमिन(ए)/ दिनॉक 25:03:2014 के द्वारा पैतृक संयुक्त कृषि भूमि स्थित ग्राम महोगिनी परगना भुइली जिला मिर्जापुर के विक्रय के सम्बन्ध मे वांछित आख्या ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध मे निम्न लिखित निवेदन है :-

1- उक्त विषयक संयुक्त कृषि भूमि हम चार भाईयो की संयुक्त पैतृक कृषि भूमि थी तथा हम लोगों के पैतृक निवास ग्राम व पोस्ट पिंड़खिड तहसील-चुनार जिला -मिर्जापुर से कूछ दूर अन्य गॉव महोगिनी में स्थित थी , जहॉ जाने का करीबी रास्ता दुर्गम था ,जो बीच मे पडने वाली गडई नदी पर रखे लम्बे पांस के अस्थाई पुल से है ।

12/4/14
S.O. Adm. H/A
DR(M)
02-5-14

2- जब मेरे सबसे बडे भाई स्व0 श्री पास मुक्तेश्वर नाथ सिह एडवोकेट ,पूर्व अपर महाधिवक्ता ,माननीय उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद की मृत्यु दिनॉक 11 जून 2012 को होने के बाद उनकी विधवा श्रीमती पद्मिनी सिहं एवं पुत्र श्री अमित कुमार सिह,एडवोकेट,माननीय उच्च न्यायालय ,इलाहाबाद ,एवं मेरे शेष भाईयों ने उक्त कृषि भूमि को बेचने का मन बना लिया तो मेरा अकेले अपने अभिवाजित 1/4 भाग अर्थात 0.34125 रक्बा लगभग एक बीघा सात बिस्वा को अजनबी क्रेताओं के साथ रोके रखना गैर लाभकारी था , तथा परिवार में एवं बाहर अन्य विवादों को उत्पन्न करने वाला था । इसके अतिरिक्त मेरा तैनाती स्थल जनपद बदायूँ मेरे गॉव से लगभग 600 किलोमीटर दूर है तथा सीधी ट्रेन सुविधा नहीं है एवं सडक मार्ग भी अस्त व्यस्त है । अतः मेरे लिये अकेले अपने छोटे से 1/4 हिस्से की खेती कराना अलाभकारी एवं कठिन था ।

Mrs. Munmun
27.5.14

3- उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियमावली ,1956 नियम 24 (1)अचल सम्पत्तियों के अर्जन एवं ऐसी अर्जित सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित है - मैने अपनी जो पैतृक कृषि भूमि उपर्युक्त परिस्थितियों में सहखातेदारों के साथ विक्रय किया

30.4.2014

Ref:96

है – वह मेरी अर्जित सम्पत्ति नहीं थी बल्कि मेरे सेवा मे आने से पूर्व ही पैतृक रूप से मुझमें थी ।उक्त नियम 24 (1) को मैने माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद द्वारा घरेलू लाइब्रेरी के लिये उपलब्ध करायी गयी पुस्तक "सेवा विधि " लेखक वी0के0सिहं ,एच0जे0एस0; प्रस्तावना माननीय न्यायमूर्ति के0एन0गोयल से देखा था ,जो इस प्रकार है – " कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो ,या ता स्वंय अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से , पटटा ,रेहन ,क्रय ,विक्रय ,या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा ; "

यहॉ अन्तिम पंक्ति में जो " न उसे बेचेगा " शब्द है ; उससे मैने यही स्वभाविक अर्थ निकाला कि जिस सम्पत्ति के अर्जन की बात इस नियम में की जा रही है ,उसी अर्जित सम्पत्ति के बेचने को प्रतिबन्धित किया जा रहा है अन्यथा 'उसे ' शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता नही थी । चूंकि प्रश्नगत सम्पत्ति मेरी अर्जित सम्पत्ति नहीं थी बल्कि संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित पैतृक सम्पत्ति थी इसलिये मैने इसके विक्रय के लिये मामले की परिस्थितियों मे ,अनुमति की आवश्यकता नहीं समझा – और यह भ्रम मुझे उक्त नियम के हिन्दी प्रारूप के कारण हुआ , जो सद्भावी था ।

4– परिवार के अन्य सह स्वामियों के साथ उक्त कृषि भूमि के विक्रय के शीघ्र बाद मैने स्वंय दिनॉक 03:09:2012 को जनपद न्यायाधीश, बदायूँ के पत्र संख्या 1799/II दिनॉकित 04:09:2012 से माननीय उच्च न्यायालय को सूचना भेजा, जो मेरे सदभाव का द्योतक है ।

उक्त परिस्थितियों मे सह स्वामियों के साथ संयुक्त स्वामित्व की मेरी अविभाजित पैतृक कृषि भूमि के विक्रय का जो संव्यवहार हुआ ,वह सद्भावी था तथा इसकी सूचना मैने स्वंय माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद को भेजा । फिर भी यदि अनजाने मे मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और ध्यान रखूंगा कि भविष्य मे मुझसे किसी नियम का उल्लघंन न होने पावे । साथ ही यह भी विनम्र निवेदन है कि भूतलक्षी प्रभाव (**Retrospectlve effect**)से उक्त विक्रय को अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

आख्या सादर प्रेषित है ।

भवदीय

(एस0एन0सिहं) 30.4.2014

विशेष न्यायाधीश,

(दस्यु प्रभावित क्षेत्र,)बदायूँ ।

दिनॉक :30:04:2014

सलंग्नक:

उ0प्र0सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली ,1956 के नियम 24 के हिन्दी संस्करण की छाया प्रति ।

Office of the District Judge
BUDAUN
No. 672 / Int. Dated 1.5.14
FORWARDED

DISTRICT JUDGE
BUDAUN

नियम-24-चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति.—(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वयं अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा, न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उदाहरण.—(1) "क", जो एक सरकारी कर्मचारी है, एक मकान खरीदने का प्रस्ताव करता है। उसे समुचित प्राधिकारी को इस प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए। यदि यह व्यवहार, किसी नियमित और ख्याति-प्राप्त व्यापारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जाना है, तो "क" को चाहिये कि वह समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ले। यही प्रक्रिया उस दशा में भी लागू होगी जब "क" अपना मकान बेचने का प्रस्ताव करे।

(2)[1] कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिये :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय किसी ख्यातिप्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा या समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

(3) प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, उचित माध्यम से, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेगा जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुई पूंजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाने चाहिये।

(4) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा, किसी भी समय, किसी सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हों, एक सम्पूर्ण विवरण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण-पत्र में, उन साधनों के या स्रोत के ब्योरे भी सम्मिलित हों, जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी।

(5) समुचित प्राधिकारी :

(क) राज्य सेवा के किसी सरकारी कर्मचारी के प्रसंग में, उपनियम (1) तथा (4) के प्रयोजनों के लिये, सरकार होगी और उप-नियम (2) के निमित्त विभागाध्यक्ष होगा।

(ख) अन्य सरकारी कर्मचारियों के प्रसंग में उप-नियम (1) से (4) तक के प्रयोजनों के निमित्त, विभागाध्यक्ष होगा।

नियम-25-सरकारी कर्मचारियों के कार्यों तथा चरित्र का प्रतिसमर्थन.—कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, किसी ऐसे सरकारी कार्य का, जो प्रतिकूल आलोचना या मानहानिकारी आक्षेप का विषय बन गया हो, प्रतिसमर्थन करने के लिये, किसी समाचार-पत्र की शरण न लेगा।

---

1. संशोधन नियमावली, 1998 द्वारा यथाप्रतिस्थापित।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.05 15:47:08 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad